# कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला।

## आवश्यक सूचना

निदेशक (प्रा०शि०) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 292 (विधि) दिनांक 22.10.2020 द्वारा प्रारभिक विद्यालयों के शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता निर्धारण के संबंध में दिये गये मागर्दशन के आलोक में गुमला जिले के प्रारभिक विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि आपकी औपबंधिक मास्टर वरीयता सूची का प्रकाशन जिले के आधिकारिक वेबसाईट www.Gumla.nic.in पर किया गया है । औपबंधिक मास्टर वरीयता सूची का निर्माण प्रोन्नति नियमावली 1993, विभागीय संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14.12.2015, संकल्प संख्या 1145 दिनांक 18.07.2019 एवं विभागीय पत्रांक 1632 दिनांक 15.10.2019 के आलोक में किया गया है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से ग्रेड 01 की प्रकिया जिला स्थापना समिति गुमला में प्रकियाधीन है एवं नियुक्ति तिथि से ग्रेड 01 मानकर यथास्थान अंकित किया गया है।

उक्त मास्टर वरीयता सूची की प्रविष्टियों में यदि आपकी प्रवृष्टि में किसी प्रकार की त्रृटि हो तो निम्न प्रारूप पर सुधार हेतु प्रविष्टि अंकित कर साक्ष्य के साथ दिनांक 31.10.2020 को अपराहन 5.00 बजे तक कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

| G.P.F/C.P.S No./शिक्षक/विद्यालय का नाम | सुधार कॉलम | अशुद्ध (गलत) प्रवृष्टि | शुद्ध (सही) प्रवृष्टि |
|---|---|---|---|
| | | | |

उक्त मास्टर वरीयता सूची में किसी कारणवश किसी शिक्षक/शिक्षिका का नाम छुट गया हो तो संलग्न शिक्षक सेवा सूचना प्रपत्र पूर्ण रूपेण भर कर सभी आवश्यक साक्ष्य/प्रमाण पत्र की छायाप्रति जो स्व अभिप्रमाणित हो को दिनांक 31.10.2020 के अपराहन 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

औपबंधिक वरीयता के संबंध में दावा/आपति दिनांक 31.10.2020 के अपराहन 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सकती है। निर्धारित तिथि/समय तक यदि दावा/आपति एवं त्रृटि निराकरण हेतु आवदेन उपलब्ध नही कराया जाता है तो समझा जाएगा कि आपको इस संदर्भ में कुछ नही कहना है।

27/10/2020

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गुमला।

27/10/2020 27/10/2020

Scanned with CamScanner